पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक विविध मामला संख्या 40992

थाना वाद सं. 1391 वर्ष- 2014 थाना- नालंदा में दायर शिकायत जिला- नालन्दा से उद्भूत

==

1. दिनेश प्रसाद, पिता- काशी लाल,

2. पुष्पलता देवी, पति- दिनेश प्रसाद,

3. विशाल कुमार, पिता- दिनेश प्रसाद के पुत्र,

4. मीरा देवी, पति- विशाल कुमार, सभी निवासी- मोहल्ला- बिचाली खंडकपर (पूलपार), केनरा बैंक के पास, पुलिस थाना- नगर थाना बिहारशरीफ, जिला- नालंदा (बिहारशरीफ)।

......याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य

2. श्वेता रानी, पति- विकास कुमार, निवासी- मोहल्ला- बिचली खंडकपर, पुलिस थाना- नगर थाना बिहारशरीफ, जिला- नालंदा (बिहारशरीफ), पिता- विनोद कुमार आनंद, निवासी- मोहल्ला- बिचली उरान, नगर, पुलिस थाना- सोहसराय, जिला- नालंदा (बिहारशरीफ)।

......उत्तरदाता/ओं

==

के साथ

2017 का आपराधिक विविध मामला संख्या 42240

थाना वाद सं. 1391 वर्ष- 2014 थाना- नालंदा में दायर शिकायत जिला- नालन्दा से उद्भूत

==

विकास कुमार, पिता- दिनेश प्रसाद, निवासी- मोहल्ला- बिचाली खंडकपर पूलपार, केनरा बैंक के पास, पुलिस थाना- नगर थाना बिहारशरीफ, जिला- नालंदा (बिहारशरीफ)।

......याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य

2. श्वेता रानी, पति- विकास कुमार, निवासी- मोहल्ला- बिचाली खंडकपर नगर, थाना- नगर थाना बिहारशरीफ, जिला- नालंदा (बिहारशरीफ)।

......विपरीत पक्ष/ओं

==

उपस्थिति :

(2017 का आपराधिक विविध मामला संख्या 40992 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री नवल किशोर सिंह, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री सुरेश प्रसाद सिंह, सहायक लोक अभियोजक

विपक्षी पक्ष संख्या -2 के लिए: श्री राजेन्द्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता

(2017 का आपराधिक विविध मामला संख्या 42240 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री नवल किशोर सिंह, अधिवक्ता

राज्य के लिए: श्री सुरेश प्रसाद सिंह, सहायक लोक अभियोजक

विपक्षी पक्ष संख्या -2 के लिए: श्री राजेन्द्र नारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता

==

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 — धारा 482 — भारतीय दंड संहिता, 1860 — धारा 498-ए — संज्ञान आदेश को रद्द करना—शिकायकर्ता के पति ने अपनी पत्नी द्वारा शिकायत याचिका दायर करने से पहले एक सूचना याचिका दायर की है, जिसमें अपनी पत्नी द्वारा झूठे मामले में फंसने की आशंका के बारे में बताया है—याचिकाकर्ता (पति) ने शिकायतकर्ता पर मुंह और लातों से हमला किया और जब शिकायतकर्ता के माता-पिता हमले की सूचना मिलने के बाद पहुंचे, तब सभी याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता और उसकी बेटी को बंद कर दिया—फिर पुलिस की मदद से शिकायतकर्ता के माता-पिता ने शिकायतकर्ता को अपने घर लाकर अस्पताल में भर्ती कराया—चोटों की रिपोर्ट में शिकायतकर्ता के शरीर पर कई गंभीर चोटें पाई गईं—जांच के दौरान गवाहों ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों का समर्थन किया—चुनौती दिए गए आदेश में कोई अवैधता नहीं—याचिका खारिज।

(पैराग्राफ 5 और 6)

===

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

===

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक आदेश

5 25-02-2025 चूंकि दोनों याचिकाओं के याचिकाकर्ता ने दिनांक 21.01.2016 के एक ही आदेश को चुनौती दी है, अतः इन याचिकाओं का निस्तारण एक समान आदेश द्वारा सयंयुक्त रूप से किया जा रहा है।

2. तत्काल याचिकाएं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (संक्षेप में 'दं.प्र.सं.') के तहत दायर की गई हैं, जिसमें बिहारशरीफ में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नालंदा द्वारा 2014

के शिकायत मामला संख्या 1391सी में पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, जिसके तहत और जिसके तहत विद्वान मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (संक्षेप में 'भा.दं.सं.') के तहत अपराध का संज्ञान लिया है।

3. याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा आदेश को चुनौती देने के लिए उठाए गए मुख्य आधार यह हैं कि याचिकाकर्ता विकास कुमार, जो ओ.पी. संख्या 2 के पति हैं और अन्य याचिकाकर्ता जो ओ.पी. के ससुराल वाले हैं, ओ.पी. संख्या 2 द्वारा दायर संपूर्ण शिकायत में, याचिकाकर्ता संख्या 3, ओ.पी. संख्या 2 के पति के बहनोई के अलावा कथित क्रूरता के संबंध में कोई विशेष आरोप नहीं है और कथित दुर्घटना के संबंध में, जो 29.10.2014 को हुई बताई गई है, शिकायतकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दायर की गई चोट रिपोर्ट विश्वसनीय नहीं है क्योंकि इसे शिकायतकर्ता (ओ.पी. संख्या 2) ने संबंधित डॉक्टर के साथ मिलीभगत करके गढ़ा है। उक्त मेडिकल रिपोर्ट कथित हमले के कारण शिकायतकर्ता के कथित गर्भपात के विरोधाभासी है तथा याचिकाकर्ता विशाल कुमार द्वारा शिकायतकर्ता को बिजली का झटका देने सहित अन्य कथित शारीरिक यातनाओं के संबंध में कोई भी चिकित्सा साक्ष्य नहीं है, वास्तव में, शिकायतकर्ता (ओपी संख्या 2) अपने पति के साथ-साथ अपने ससुराल वालों को भी पसंद नहीं करती थी और वह कभी भी अपने पति और ससुराल वालों के साथ एक पत्नी के रूप में सामान्य जीवन नहीं जीना चाहती थी। शिकायत दर्ज करने से पहले, उसके पति द्वारा एक सूचनात्मक याचिका दायर की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा झूठे मामले में फंसाए जाने की आशंका जताई गई थी। याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1, दिनेश प्रसाद, ससुर हैं, याचिकाकर्ता संख्या 2, पुष्पलता देवी, सास हैं, याचिकाकर्ता संख्या 3 देवर है और याचिकाकर्ता संख्या 4 शिकायतकर्ता की भाभी (*गोतनी*) है और शिकायतकर्ता के व्यवहार के कारण, उसका पति अवसाद में चला गया और एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसके लिए उसका कई अस्पतालों में इलाज चला और शिकायतकर्ता ने शुरू में महिला

पुलिस स्टेशन, नालंदा के एसएचओ के समक्ष एक शिकायत दर्ज की, जहां एक सहायक उपनिरीक्षक द्वारा जांच की गई, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक-1 के रूप में इन याचिकाओं के साथ दायर की गई है और यह दर्शाता है कि ओ.पी. संख्या 2 (शिकायतकर्ता) अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन जीने के लिए तैयार नहीं थी और उसने मांग में ग्यारह बिंदु (मांगें) रखीं। पत्र में पति और ससुराल वालों के साथ रहने की शर्त के रूप में उक्त एएसआई के समक्ष प्रस्तुत किया है और उक्त मांग पत्र की प्रति इन याचिकाओं के साथ अनुलग्नक-4 के रूप में दाखिल की गई है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि ओ.पी. संख्या 2 के पति ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत नालंदा के पारिवारिक न्यायालय में वैवाहिक मामला संख्या 296/2014 दाखिल किया है, लेकिन फिर भी ओ.पी. संख्या 2 अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है, क्योंकि वह आईसीआईसीआई बैंक में काम करने वाली एक स्मार्ट महिला है, जिसके कई प्रेमी हैं। अंत में यह भी कहा गया कि ट्रायल कोर्ट का रवैया भी उचित नहीं है क्योंकि सभी याचिकाकर्ताओं को कई महीने पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा ही प्रोविजनल बेल की राहत दी गई थी और उसके बाद याचिकाकर्ताओं ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष अपनी प्रोविजनल बेल की पुष्टि के लिए कई प्रयास किए लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया और आज तक उनकी प्रार्थना पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

4. दूसरी ओर, ओ.पी. संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेंद्र नारायण ने दोनों याचिकाओं का पुरजोर विरोध किया और तर्क दिया कि शिकायत याचिका में याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शारीरिक यातना का विशिष्ट आरोप है और 29.10.2014 को गंभीर *मारपिट* और क्रूरता से संबंधित कथित घटना के संबंध में, शिकायतकर्ता को सदर अस्पताल, बिहारशरीफ में भर्ती होना पड़ा, जहां उसका चिकित्सा उपचार हुआ और उस घटना में, उसे गंभीर चोटें आईं और गर्भपात भी हुआ और इस संबंध में, संबंधित सरकारी अस्पताल द्वारा जारी की गई चोट रिपोर्ट और उसके उपचार को दर्शाने वाले अन्य प्रासंगिक चिकित्सा पर्चे प्रति शपथ पत्र के साथ दायर किए गए हैं। आगे यह भी

कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं का रवैया ट्रायल कोर्ट के समक्ष सहयोगात्मक नहीं रहा है और झूठे कारणों के बहाने उन्होंने अपने मामले को एक अदालत से दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने का प्रयास किया और इस संबंध में, सत्र न्यायाधीश द्वारा उनकी स्थानांतरण याचिकाओं को दो बार खारिज कर दिया गया। यह कहना गलत है कि ओपी संख्या 2 आईसीआईसीआई बैंक में कार्यरत है और शिकायतकर्ता की ग्यारह मांगों वाले तथाकथित मांग पत्र पर शिकायतकर्ता या उसके माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति का हस्ताक्षर नहीं है, इसलिए, इस मांग पत्र के आधार पर याचिकाकर्ताओं का बचाव पूरी तरह से अविश्वसनीय है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने संज्ञान आदेश को चुनौती दी है, लेकिन उसके बाद, ट्रायल कोर्ट ने आगे बढ़कर आरोप से पहले सभी गवाहों के साक्ष्य दर्ज किए हैं और वर्तमान समय में, याचिकाकर्ताओं पर आरोप तय करने के लिए मामला लंबित है।

5. दोनों पक्षों को सुना और विवादित आदेश और प्रासंगिक सामग्री का अध्ययन किया। हालांकि आपराधिक विविध मामला संख्या - 40992/ 2017 के याचिकाकर्ता, शिकायतकर्ता के ससुराल वाले हैं, लेकिन उनके साथ-साथ याचिकाकर्ता विकास कुमार के खिलाफ भी शारीरिक यातना का विशिष्ट आरोप है और इस संबंध में शिकायत का अनुच्छेद '9' प्रासंगिक है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता विशाल कुमार ने शिकायतकर्ता पर दिनांक 29.10.2014 को मुट्ठी और लातों से हमला किया और जब शिकायतकर्ता के माता-पिता उस हमले की जानकारी मिलने के बाद पहुंचे तो सभी याचिकाकर्ताओं ने शिकायतकर्ता और उसकी बेटी को बंद कर दिया और फिर पुलिस की मदद से शिकायतकर्ता के माता-पिता शिकायतकर्ता को अपने घर ले आए और सदर अस्पताल में भर्ती कराया। इस संबंध में बिहारशरीफ में, विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा जवाबी हलफनामे के साथ दायर चोट की रिपोर्ट प्रासंगिक है ,जो दर्शाती है कि 29.10.2014 को उनके शरीर पर

कई गंभीर चोटें पाई गई थीं। इसके अलावा, जांच के दौरान उपस्थित भौतिक गवाहों ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोपों का समर्थन किया।

6. याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उपलब्ध सामग्री, विशेष रूप से, याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता के साथ किए गए कथित शारीरिक हमले को ध्यान में रखते हुए, जिसे चिकित्सा साक्ष्य से पुष्टि मिलती है, यह न्यायालय आदेश में कोई अवैधता नहीं पाता है और दोनों याचिकाओं में कोई बल और योग्यता नहीं है, तदनुसार, दोनों खारिज हो जाते हैं।

7. याचिकाकर्ताओं को यह अधिकार होगा कि वे वरत्तमान याचिकाओं में उठाए गए आधारों से सम्बंधित अपने स्वीकार्य साक्ष्यों को आरोप निर्धारण के समय या बाद में मुकदमे की कार्यवाही के दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सके।

8. विचारण न्यायालय को याचिकाकर्ताओं के मुकदमे की शीघ्र सुनवाई करने का निर्देश दिया जाता है।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

मायनाज़/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।